



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
५९ "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेला हिल्स भोपाल

क्रमांक / ५०१९ / NR-4/25/3 / 10

भोपाल, दिनांक २३/०४/१०

प्रति,


मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र.
जिला:—समरत (म.प्र.)

विषय:— योजना अन्तर्गत Business Correspondent Model में व्यय न करने
विषयक।

संदर्भ:— कार्यालयीन पत्र क्र.2755/वित्त एवं लेखा दिनांक 22.3.10।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा प्रेषित आंकड़ों में निर्धारित मद
"F" की उपगतिविधि F-11(Payment of Transaction Fees to Bank for
Disbursement of Wages through BCM) के अंतर्गत परिषद के आगामी आदेश
जारी होने तक उक्त मद में व्यय करने की पात्रता नहीं होगी।
आगामी आदेश जारी होने तक आपके द्वारा उपरोक्त मद में दर्शायी राशि को कृपया सुरक्षित
रखा जाये।

(CEO द्वारा अंकित)


(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त-लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्